परियोजना-4 के लिए प्रपत्र

नोट :- (सहायतानुद्घान मिल जाने पर निमंत्रण-पत्र/स्मारिका पर विभाग के प्रति आभार प्रकाशित करना आवश्यक है । इन्हें प्रकाशित न किए जाने की दशा में मंच से आभार व्यक्त किया जाना आवश्यक है)

1	संस्था का पूरा नाम व पता	
2	पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या और तिथि	
3	कार्यक्रम का नाम	
4	कार्यक्रम की तिथि	
5	कार्यक्रम स्थल (हाल का किराया दिया है तो मूल रसीद संलग्न करें)	
6	कितनी संस्थायें भाग ले रही हैं	
7	उनका ब्यौरा नीचे दें :	

संस्था का नाम	नाटक/नृत्य/गायन/संगीत का नाम	मंच पर सक्रिय भाग लेने वाले कलाकारों की संख्या

8	आयोजक संस्था द्वारा प्रस्तुति का विवरण	
9	कार्यक्रम के लिए अपेक्षित सहायतानुद्घान राशि	

जिला भाषा अधिकारी की सिफारिश

1 मैंने स्वयं आयोजकों द्वारा आमंत्रित संस्थाओं का परिचय प्राप्त कर लिया है । संस्थायें जो भाग ले रही हैं (जिनकी स्वीकृति आ चुकी है) इन संस्थाओं के कुल सदस्यों की संख्या -------------है ।

2 आयोजक संस्था भी एक आयोजन दे रही है जिसमें उसी संस्था के सदस्य भाग ले रहे हैं।

3 संस्था द्वारा मुझे भी आमंत्रित किया गया है। आयोजन ----- (स्थल का नाम) पर ------- (तिथि) होना निश्चित हुआ है ।

4 इस आयोजन की पूर्ण रिपोर्ट में आयोजन देखने के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी ।

5 मैं सिफारिश करता हूँ कि इस संस्था को ----- रुपये का अनुदान दिया जाये ।

जिला भाषा अधिकारी

परियोजना-4

निष्पादन कलाओं पर प्रतियोगिता, उत्सव आदि के आयोजन हेतु सहायतानुदान

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 उद्देश्य :

इस परियोजना का उद्देश्य आयोजकों का समूह तैयार करना नहीं होगा बल्कि इसके निम्न उद्देश्य होंगे :-

1. सांस्कृतिक गतिविधियों को बाहर से आमंन्त्रित संस्थाओं द्वारा प्रसारित करवाना, और
2. इन गतिविधियों में संस्था द्वारा निष्पादन कला में शामिल करना ।
3. निष्पादन कलाओं को एक मंच प्रदान करना ।
4. एक क्षेत्र द्वारा दूसरे क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों को पहचानना ।

2 संस्थायें जिन्हें धन राशि दी जा सकती है :

1. संस्था का केवल ऐसे आयोजन करना ही व्यवसाय नहीं होना चाहिए । और
2. संस्था/समिति, पंजीकरण अधिनियम-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए, या
3. संस्था साविधिक होनी चाहिए ।

3 मदें जिनके लिए धन राशि दी जायेगी :

1. हाल का किराया (मूल रसीद प्राप्त हो जाने के उपरांत आयोजकों को चुकाया जायेगा)
2. आयोजक संस्था का एक मंचीय प्रदर्शन अनिवार्य होगा जिसके लिए 1,000/- रुपये तक की राशि दी जायेगी ।
3. बाहर से आने वाली संस्थाओं के ठहरने की व्यवस्था आयोजक करेंगे, परन्तु उनके भोजन के लिए विभाग द्वारा रुपये 15/- प्रति कलाकार दैनिक दिया जायेगा । कलाकार वही माने जायेंगे जिनका मंच पर सक्रिय भाग होगा । दल का एक नेता, निर्देशक व साज-सज्जा के लिए एक व्यक्ति भी कलाकार माने जायेंगे ।
4. एक संस्था के सदस्यों की अधिकतम सीमा 22 होगी ।

4 सहायतानुदान की सीमा :

ऐसे आयोजनों के लिए विभाग एक संस्था को अधिक से अधिक रुपये 15,000/- तक सहायतानुदान राशि देगा ।

5 प्रक्रिया :

1. विभाग के विहित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग तक पहुंचाना होगा ।
2. जिस थियेटर को बुक किया गया है उसकी वास्तविक रसीद भी प्रार्थना पत्र के साथ लगी होनी चाहिए ।
3. सहायतानुदान की राशि अनुदान देने की तिथि के तीन मास के भीतर व्यय की जानी होगी अन्यथा पूरी राशि ब्याज सहित वापस ले ली जायेगी ।
4. धन राशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई है केवल उसी पर व्यय की जायेगी ।
5. सहायतानुदान प्राप्त संस्था विभाग के अधिकारियों तथा जिला भाषा अधिकारी को आयोजन में आमंत्रित करेगी ताकि आयोजन का स्तर जांचा जा सके ।

6 उपयोगिता प्रमाण पत्र :

आयोजन के तुरन्त बाद संस्था के प्रधान/सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजे जिसमें खर्चे के पूरे विवरण के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित हो कि राशि जिस प्रयोजन हेतु दी गई थी उसी पर व्यय की गई है ।

प्रपत्र संलग्न है। प्रार्थना-पत्र जिला भाषा अधिकारी से सिफारिशित होना अनिवार्य होगा ।